

## नीलामी-सूचना

वर्ष-2021

जनपद-खीरी

जनपद खीरी की पुलिस लाईन्स में मस्जिद के पास स्थित पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों के निष्प्रयोज्य / ध्वस्तीकरण / नीलामी कराये जाने हेतु विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ के पत्र संख्या:502 /2021 / 552 / 6-पु-7-2021-135 / 2015 दिनांक: 24.07.2021 द्वारा निहित प्राविधानों के अनुरूप स्क्रैप मूल्य रू0 95,365 /-(रू0 पंचानबे हजार तीन सौ पैसठ मात्र) के दृष्टिगत निष्प्रयोज्य / ध्वस्तीकरण / नीलामी कराये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की गयी है, जिसकी नीलामी कराये जाने हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गयी है:-

क्र0 सं0	भवन का विवरण	नीलामी हेतु निर्धारित तिथि
1-	जनपद खीरी की पुलिस लाईन्स में मस्जिद के पास स्थित एक जीर्ण-शीर्ण भवन की नीलामी	15.09.2021

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इच्छुक क्रेतागण उक्त नियत तिथि पर जनपद खीरी की पुलिस लाईन्स में प्रातः 11.00 बजे तक उपस्थित होकर नीलामी में भाग लेना सुनिश्चित करें। नीलामी से पूर्व उपरोक्त भवनों की लागत की धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि नकद अथवा एफडीआर के रूप में समिति के सम्मुख जमा करना होगा। नीलामी के उपरान्त अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति / फर्म को नियमानुसार देय शुल्क / नीलामी मूल्य जमा करना होगा।

↓  
26/8/21  
पुलिस अधीक्षक,  
खीरी।